मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013–फाल्गुन 17, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम नीतू बैरागी NEETU BAIRAGI था, परन्तु अब मेरा नाम हितिका बैरागी HITIKA BAIRAGI कर लिया है. अत: अब मुझे भविष्य में हितिका बैरागी HITIKA BAIRAGI के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. सभी दस्तावेजों में इसी अनुसार सुधार किया जावे.

पुराना नाम :

(NEETU BAIRAGI)

नया नाम:

(HITIKA BAIRAGI)
B-429, आनंद नगर, सागरताल रोड,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म. प्र.).

(331-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कु. प्रियम सिंह ने केन्द्रीय विद्यालय, जिला सीधी (म. प्र.) में कक्षा पांचवी में वर्ष 2005 में प्रवेश लिया था एवं केन्द्रीय विद्यालय ओ. एफ. कटनी, म. प्र. से कक्षा 10वीं की परीक्षा वर्ष 2009–2011 में उत्तीर्ण किया है. वर्तमान में वह सी. बी. एस. ई. बोर्ड से कक्षा 12वीं में प्रगति हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बारा रोड, जिला कोटा, राजस्थान में अध्ययनरत है, जिसका जन्म दिनांक 25 जनवरी, 1996 है. मैं अपनी बच्ची का नाम कु. प्रियम सिंह (Priyam Singh) के स्थान पर कु. प्रिया सिंह (Priya Singh) कराना चाहता हूँ. उक्त संशोधित नाम ही पढ़ने, लिखने एवं सभी लेखीय दस्तावेजों में पढ़ा जावे.

अमर बहादुर सिंह,
संयुक्त कलेक्टर,
मुरैना, जिला मुरैना (म. प्र.).

(328–बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, भयंकरसिंह पुत्र श्री सीताराम लोधी, जाति लोधी, आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम वायवेनी, ग्राम पंचायत वायवेनी, तहसील व विकासखण्ड ईसागढ़, जिला अशोकनगर म. प्र. का हूँ. मैं एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि अभी तक मेरा नाम सभी जगह भयंकरसिंह के नाम से जाना जाता रहा है. अब मैं अपना नाम परिवर्तित कर रहा हूँ. मेरा परिवर्तित नाम कृष्णकुमार मैंने रख लिया है. अब मुझे भयंकरसिंह के बजाय कृष्णकुमार लोधी के नाम से जाना जावेगा. मैं अपना नाम आज से कृष्णकुमार से सभी जगह आवश्यकतानुसार लिखूंगा और अपने हस्ताक्षर भी कृष्णकुमार के नाम से करूंगा और अब मेरा नाम कृष्णकुमार है.

अत: इस विज्ञप्ति द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

पुराना नाम :

(भयंकरसिंह)

नया नाम:

(कृष्णकुमार)
पुत्र श्री सीताराम लोधी,
निवासी ग्राम वायवेनी, ग्राम पंचायत वायवेनी,
पोस्ट पाटखेडा, तहसील व विकासखण्ड ईसागढ़,
जिला अशोकनगर (म. प्र.).

(329-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा जन्म के समय पर नाम पलक निगम पिता श्री दिनेश निगम से पहचान थी. किन्तु अब मुझे सुरभि निगम पिता दिनेश निगम के नाम से पहचाना जाता है. यह दोनों ही नाम मेरे हैं. अब भविष्य में सुरभि निगम के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(पलक निगम)

नया नाम:

(सुरभि निगम)
पिता दिनेश निगम,
37-बी, बख्तावर राम नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(330-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, ओमनाथ क्षत्री पिता हरिप्रसाद, निवासी सिद्धनाथ, शिलाकुंज कॉलोनी के पास, एमपीईबी, रामपुर, जबलपुर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में स्वयं को ओमनाथ क्षत्री के स्थान पर होमनाथ ढकाल के रूप में स्थापित किया है. अपना नाम परिवर्तन कर अब मैं समस्त दस्तावेजों में ओमनाथ क्षत्री के स्थान पर होमनाथ ढकाल के रूप में जाना जाता हूँ. इस आशय का मैंने शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है. मुझको अब होमनाथ ढकाल के नाम से ही जाना जाये. यह सर्व-साधारण को भी सूचित हो.

पुराना नाम :

(ओमनाथ क्षत्री)

नया नाम:

(होमनाथ ढकाल)
पिता श्री हरिप्रसाद
सिद्धनाथ, शिलाकुंज के पास,
रामपुर, जबलपुर (मध्यप्रदेश) 482008.

(327-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह पूर्व शबीना शौकत मन्सूरी (SHABINA SHAUKAT MANSOORI) से परिवर्तित होकर विवाह के पश्चात् अब मेरा नया नाम सबा घोरी (SABA GHORI) हो गया है. अत: अब मुझे नये नाम सबा घोरी (SABA GHORI) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(शबीना शौकत मन्सूरी)
(SHABINA SHAUKAT MANSOORI)

नया नाम:

(सबा घोरी)
(SABA GHORI)
96/47, स्नेह नगर, मेन रोड,
सपना संगीता के पास, इन्दौर (म. प्र.).

(332-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. राजावत एण्ड कम्पनी, पता-07, राजावत निकुंज, कवि नगर, एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर पर संचालित है. उक्त फर्म-फर्म एण्ड सोसायटी कार्यालय ग्वालियर-चम्बल संभाग, ग्वालियर में प्रकरण क्रमांक 02/42/01/00130/07, दिनांक 5 जनवरी, 2007 को पंजीकृत है. उक्त फर्म से केप्टन एस. के. सिंह राजावत स्वेच्छा से दिनांक 2 जुलाई, 2012 पृथक् हो गए हैं और अब उक्त फर्म से केप्टन एस. के. सिंह राजावत का कोई लेना-देना नहीं है तथा उनके स्थान पर श्रीमती ऊषा मिश्रा पत्नी श्री विनोद कुमार मिश्रा, पता-42, कुन्दन नगर, ए. जी. ऑफिस के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को दिनांक 2 जुलाई, 2012 को फर्म में सम्मिलित किया गया है. यदि किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो मेरे कार्यालय में दस्तावेज सहित 7 दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज कराए, वरना समय गुजर जाने के बाद मेरा पक्षकार उक्त पाश्चवर्ती किसी भी प्रकार की आपत्ति, उज्र मेरे पक्षकार व फर्म के हित में व्यर्थ होकर शून्य मानी जावेगी.

दिनांक 13 फरवरी, 2013.

भवदीय,
सरनामसिंह तोमर (एडवोकेट)
नोटरी
बिजलीघर के सामने, तानसेन रोड,
ग्वालियर.

(333-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बंसाला इंजीनियर्स, 546, संगम कॉलोनी, बल्देवबाग, जबलपुर पार्टनरशिप फर्म है, जो कि फर्म एण्ड सोसायटी के अन्तर्गत 2000-2001 में पंजीकृत है. जिसमें निम्न पार्टनर थे— 1. श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, एच. यू. एफ., 2. श्रीमती लक्ष्मी बाई अग्रवाल, 3. श्री राकेश चंसौरिया, 4. श्रीमती छोटी बाई यादव. 1 अप्रैल, 2005 से मेसर्स बंसाला इंजीनियर्स में पार्टनरों में निम्न परिवर्तन हुए हैं—1. श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, 2. श्रीमती लक्ष्मी बाई अग्रवाल, 3. श्री राकेश चंसौरिया, 4. श्रीमती छोटी बाई यादव. यह सूचना फर्म एण्ड सोसायटी में फर्म की संरचना में परिवर्तन हेतु प्रकाशित की गई है.

हमारे द्वारा जो कि फर्म का रजिस्ट्रेशन 2000-2001 फर्म एण्ड सोसायटी में कराया गया था, उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश हमारी फर्म का नाम बंसाला इंजीनियरिंग हो गया है. जिसका कि सही नाम बंसाला इंजीनियर्स है.

भवदीय,
मुकेश कुमार अग्रवाल,
पार्टनर-मेसर्स बंसाला इंजीनियर्स.

(335-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, विजयराघवगढ़/बरही, जिला कटनी

प्र. क्र. 01/बी-113(4)/2012-13. **प्रारूप-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 1962 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि सुशील कुमार जैन पिता श्री सुखलाल जैन, निवासी ग्राम संडे मार्केट द्वारा पंचायती दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट के लोक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन समय/दिवस में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता . . पंचायती दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, संडे मार्केट, कैमोर, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म. प्र.).

अचल सम्पत्ति . . निरंक.

बाजार मूल्य का विवरण . . निरंक.

जारी दिनांक 19 फरवरी, 2013.

पेशी दिनांक 22 मार्च, 2013.

(112)

प्रारूप-चार

प्र. क्र. 02/बी-113(4)/2005-06.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, एक्ट 1951 (तीस) 95 की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 1962 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि गुरूदीप सिंह बेदी, श्री गणेश राव, अरूणेश सिंह बघेल, सुनील कुमार तिवारी, हनुमंत सेवा समिति, पनहाई मंदिर, कैमोर, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म. प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन समय /दिवस में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल / अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता . . हनुमंत सेवा समिति, पनहाई मंदिर, कैमोर, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म. प्र.).

अचल सम्पत्ति . . निरंक.

बाजार मूल्य का विवरण . . निरंक.

जारी दिनांक 06 फरवरी, 2013.

(112-A)

प्रारूप-चार

प्र. क्र. 04/बी-113(4)/2011-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि गुरूदीप सिंह गुरूद्वारा पंजाबी सभा कैमोर खलवारा बाजार, कैमोर, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म. प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन समय /दिवस में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल / अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता .. गुरूद्वारा पंजाबी सभा खलवारा बाजार, कैमोर तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म. प्र.).

सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति .. निरंक.

बाजार मूल्य का विवरण .. निरंक.

जारी दिनांक 06 फरवरी, 2013..

विनय कुमार जैन,
अनुविभागीय अधिकारी.

(112-B)

न्यायालय पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, जिला श्योपुर

प्र. क्र. /02/11-12/बी-113.

1. क्र./क./वा./अ.वि.अ./पं./98 चूंकि श्री प्रशान्त शर्मा, कार्यकारी न्यासधारी एवं अध्यक्ष पुत्र वावूलाल शर्मा, निवासी श्योपुर, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (27 जून, 1951) की धारा-4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गयी सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन दिया अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2013 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो, तो वह इस सूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवे, निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री मंदिर श्री मुरली मनोहर जी मेन बाजार, जिला श्योपुर (म. प्र.).

अचल सम्पत्ति:—मंदिर श्री कृष्णा टॉकीज के सामने, मेन रोड, श्योपुर में स्थित है जिसमें मंदिर व दुकान निर्मित है.

चल सम्पत्ति:—बडे ठाकुर जी पीतल के, स्टेण्ड ठाकुर जी पीतल का, बड़ी ठाकुरानी जी पीतल, स्टेण्ड ठाकुरानी जी पीतल का, ठाकुर जी पीतल की मूर्ति छोटे स्टेण्ड सहित, ठकुरानी जी पीतल मूर्ति छोटी स्टेण्ड सहित, ठकुरानी जी पीतल मूर्ति छोटे, ठकुरानी जी पीतल मूर्ति छोटे गंगा की पीतल मूर्ति, लड्डू गोपाल जी, घन्टी पीतल की, आरती पीतल की, आचमनी तांबे की, शंख.

महीप तेजस्वी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(113)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर, जिला मन्दसौर

प्र. क्र. 02-113 (1)/2010-11. दिनांक 9 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

''श्री गोपालकृष्ण कुमावत, समाज धर्मशाला न्यास बेहपुर, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.''

2. चूंकि ''श्री गोपालकृष्ण कुमावत, समाज धर्मशाला न्यास बेहपुर, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश'' द्वारा मुख्य न्यासधारी नन्दकिशोर पिता किशनलाल राठोर एवं मोहनलाल पिता किशनलाल सुथार निवासी ग्राम बेहपुर तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 फरवरी, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12 फरवरी, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 12 फरवरी, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :— ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छायाप्रतियां संलग्न हैं जो निम्न प्रकार हैं.—

1. अचल सम्पत्तिः—ग्राम बेहपुर, तहसील दलोदा में ग्राम पंचायत पंजी क्र. 121 पर भवर क्र. 417 पर 120×90 कुल 10,800 वर्गफीट का भवन स्थित है जिसकी कीमत 3,00,000/- रुपये है.

2. चल सम्पत्तिः—के रूप में 5,000/- रु. बैंक में जमा किये है चल-अचल सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन लगभग 3,05,000/- रुपये (तीन लाख पाँच हजार रुपये) है.

लोक न्यास का नामः— ''श्री गोपालकृष्ण कुमावत, समाज धर्मशाला न्यास बेहपुर, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश''.

वीरसिंह चौहान,
पंजीयक.

(114)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए निम्नलिखित अतिरिक्त ग्रामों के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार कर सर्व-साधारण की जानकारी हेतु दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालय नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर के सभाकक्ष में प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति—

(1) आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर.

(2) कलेक्टर, जिला धार.

(3) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर.

के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

ग्रामों की सूची:—

1. लेबड़	2. सेजवाया	3. डेहरी	4. पिपल्दा
5. कल्साडाखुर्द	6. सेजवानी	7. एकलदूना	8. गुणावद
9. मिर्जापुर	10. नाजिक बड़ौदा	11. निजामपुरा	12. कुमार कराड़िया
13. उमरिया	14. बागोदा	15. बक्साना	16. उदली
17. सुहागपुरा	18. आसुखेड़ी	19. माधवपुर	20. कल्याणासीखेड़ी
21. खण्डवा	22. भिचौली		

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो तो उसे कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शॉपिंग कॉम्पलेक्स, दैनिक भास्कर के सामने, ए. बी. रोड, इन्दौर अथवा प्रकाशन स्थल (नगर पालिका, पीथमपुर) पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक्रूप से प्रस्तुत करें.

संजय मिश्रा,
संयुक्त संचालक.

(128)

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2721, दिनांक 18 जुलाई, 2011 के द्वारा दी प्रीमियर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 334, दिनांक 8 अप्रैल, 1983 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. खत्री, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(115)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/3228, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा नवीन राष्ट्रीय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 10 जुलाई, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति निशीवाला शर्मा, व. स. नि., को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(115-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2713, दिनांक 18 जुलाई, 2011 के द्वारा नेशनल इम्प्रूवमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 335, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. खत्री, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(115-B)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

सतना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./12/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	सत्यम् गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना	14/02-03-1978	1123/05-09-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार)

किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

ठाकुर प्रसाद,
वरि. सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(116)

सतना, दिनांक 15 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दिनांक
1.	माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., शिवपुर ब्लॉक सोहावल, जिला सतना (म. प्र.).	358/19-2-2002	1113/5-09-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(117)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सतना

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1349.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/576, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संस्था हरे रामा महिला प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सतना (वार्ड क्र.-18) पंजीयन क्रमांक 236, दिनांक 24 फरवरी, 1996 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री विक्रम सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए हरे रामा महिला प्राथमिक उप. भण्डार मर्यादित, (वार्ड क्र.-18), सतना जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 236,

दिनांक 24 फरवरी, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1350.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2011/931, दिनांक 20 जुलाई, 2011 द्वारा संस्था शासकीय कर्म. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना, पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 1 जनवरी, 1979 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री ठाकुर प्रसाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए शासकीय कर्म. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 1 जनवरी, 1979 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118-A)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1351.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/568, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संस्था रेत एवं पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, नागौद, पंजीयन क्रमांक 132, दिनांक 24 मई, 1994 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री विक्रम सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए रेत एवं पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 132, दिनांक 24 मई, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118-B)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1352.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2011/932, दिनांक 20 जुलाई, 2011 द्वारा संस्था प्रगतिशील बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सोहावल, पंजीयन क्रमांक 427, दिनांक 9 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्रगतिशील बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सोहावल, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 427, दिनांक 9 अक्टूबर, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118-C)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1353.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2011/933, दिनांक 20 जुलाई, 2011 द्वारा संस्था पुलिस कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, सतना, पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 5 जून, 2000 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए पुलिस कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, सतना, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 5 जून, 2000 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118-D)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1354.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/589, दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा संस्था प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पटिहट, पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 16 जुलाई, 2003 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पटिहट, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 16 जुलाई, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118-E)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1355.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/577, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संस्था लेवर कांट्रेक्ट सहकारी समिति मर्यादित, सतना, पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 23 जनवरी, 1965 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए लेवर कांट्रेक्ट सहकारी समिति मर्यादित, सतना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 23 जनवरी, 1965 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118-F)

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1551.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/1109, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा संस्था भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पोड़ी, विकास खण्ड मैहर, पंजीयन क्रमांक 387, दिनांक 2 मई, 2007 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पोड़ी, विकास खण्ड मैहर, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 387, दिनांक 2 मई, 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118-G)

सतना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1555.—महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, पटकन टोला कोठी, पंजीयन क्रमांक 215, दिनांक 17 नवम्बर, 1995 है, के आदेश क्रमांक 573, दिनांक 10 मई, 2012 से परिसमापन में लाया जाकर श्री विक्रम सिंह, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को

प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./573, दिनांक 10 मई, 2012 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत महिला प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या., पटकन टोला कोठी पंजी. क्रमांक 215, दिनांक 17 नवम्बर, 1995 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.

1.	श्रीमती कंचन मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मुन्नी देवी मिश्रा	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रामबाई	सदस्य
4.	श्रीमती रामवती शर्मा	सदस्य
5.	श्रीमती शांति देवी बुनकर	सदस्य
6.	श्रीमती मालती देवी शर्मा	सदस्य
7.	श्रीमती आशा नागर	सदस्य
8.	श्रीमती उमा देवी	सदस्य
9.	श्रीमती पुष्पा मिश्रा	सदस्य
10.	श्रीमती आशा उर्मलिया	सदस्य
11.	श्रीमती उर्मिला देवी	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(118-H)

सतना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1556.—महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, संग्राम कॉलोनी, सतना पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 है, के आदेश क्रमांक 575, दिनांक 10 मई, 2012 से परिसमापन में लाया जाकर श्री विक्रम सिंह, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./575, दिनांक 10 मई, 2012 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत महिला प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या.,संग्राम कॉलोनी, सतना पंजी. क्रमांक 154, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.—

1.	श्रीमती मंजू सिंह	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ममता सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती गोमती गुप्ता	सदस्य
4.	श्रीमती अनीता सिंह	सदस्य
5.	श्रीमती बिन्दू सिंह	सदस्य
6.	श्रीमती सरस्वती	सदस्य

7.	श्रीमती प्रभा सिंह	सदस्य
8.	श्रीमती रामरती सिंह	सदस्य
9.	श्रीमती सुशीला	सदस्य
10.	श्रीमती रामबाई	सदस्य
11.	श्रीमती माया	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

संजय नायक,
उप-पंजीयक.

(118-I)

कार्यालय परिसमापक, स्वायत्त सहकारिता मर्या., जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-61 (ख) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60 के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित स्वायत्त सहकारिताओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में आने का क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	राजीव गांधी भण्डार स्वायत्त सहकारिता मर्या., श्योपुर	एआर/एसपीआर/11/24-09-2003	4653/5-11-2011
2.	कशाभाहु क्रय-विक्रय एवं साख स्वायत्त सहकारिता मर्या., श्योपुर.	एआर/एसपीआर/13/8-4-2004	4654/5-11-2011
3.	अमान महिला भण्डार स्वायत्त सहकारिता मर्या., विजयपुर.	एआर/एसपीआर/09/9-6-2003	4652/5-11-2011

अतः उक्त स्वायत्त सहकारिताओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता गांधी चौक, नगरपालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

गोपाल माहेश्वरी,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(119)

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाण्डोला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./661, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, ब.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाण्डोला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./661, दिनांक 20 मार्च, 1987 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120)

श्योपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/985.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुलसेफ जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./936, दिनांक 30 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, ब.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुलसेफ जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./936 दिनांक 30 मार्च, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-A)

श्योपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/986.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावडा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./937, दिनांक 30 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, ब.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावडा जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./ 937 दिनांक 30 मार्च, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-B)

श्योपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/987.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1012, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, ब.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./1012, दिनांक 31 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-C)

श्योपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/988.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फिलोजपुरा जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./660, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, ब.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फिलोजपुरा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./660 दिनांक 20 मार्च, 1987 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-D)

श्योपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/989.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पच्चीपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1013, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, ब.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक

आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पच्चीपुरा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./1013, दिनांक 31 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-E)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1092.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1007, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./1007, दिनांक 31 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-F)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1093.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./704, दिनांक 7 नवम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./704, दिनांक 7 नवम्बर, 1987 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-G)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1094.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललितपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./729, दिनांक 11 मार्च, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललितपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./729, दिनांक 11 मार्च, 1988 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-H)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1095.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलमान्या, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1009, दिनांक 31 फरवरी, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलमान्या, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./1009, दिनांक 31 फरवरी, 1995 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-I)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1096.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुडायथा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./714, दिनांक 16 नवम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुड़ायथा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./714, दिनांक 16 नवम्बर, 1987 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-J)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1097.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतोदन, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1105, दिनांक 3 सितम्बर, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर.रेगर, स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतोदन, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./1105, दिनांक 3 सितम्बर, 1996 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-K)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1098.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1077, दिनांक 16 मई, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./1077, दिनांक 16 मई, 1996 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-L)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1099.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से सीप घाटी फल सागभाजी सहकारी संस्था मर्या., इच्छापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./975, दिनांक 17 जुलाई, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत सीप घाटी फल सागभाजी सहकारी संस्था मर्या., इच्छापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./975, दिनांक 17 जुलाई, 1994 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-M)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1100.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,रन्नोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./871, दिनांक 1 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रन्नोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./871, दिनांक 1 अप्रैल, 1989 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-N)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1101.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोढर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./948, दिनांक 19 अगस्त, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न

करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोढर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./948, दिनांक 19 अगस्त, 1991 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-O)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1102.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लुहाड़, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./727, दिनांक 11 मार्च, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लुहाड़, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./727, दिनांक 11 मार्च, 1988 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-P)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1103.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़ बगदिया, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1069, दिनांक 21 मार्च, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़ बगदिया, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./1069,

दिनांक 21 मार्च, 1996 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-Q)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1104.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोंई कला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./726, दिनांक 13 मार्च, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोंई कला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./726, दिनांक 13 मार्च, 1988 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-R)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1105.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकड़ावदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./938, दिनांक 31 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकड़ावदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./938, दिनांक 31 मार्च, 1991 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-S)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1106.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./761, दिनांक 6 अप्रैल, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./761, दिनांक 6 अप्रैल, 1988 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(120-T)

श्योपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1107.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राड़ेप, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./935, दिनांक 31 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी/देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राड़ेप, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र.ए.आर./एम.एन.ए./935, दिनांक 31 मार्च, 1991 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. के. वर्मा,
सहायक-पंजीयक.

(120-U)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2012/1987.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत

कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरेघाट.	249/25-09-1990	695/31-12-2011	श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक.
2.	आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., ग्वारा.	670/29-11-2005	695/31-12-2011	श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक.
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारंगबिहरी.	90/01-10-1984	695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सहकारी निरीक्षक.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोहनाखैरी.	113/12-08-1986	695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सहकारी निरीक्षक.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तंसरामाल.	258/05-11-1990	695/31-12-2011	श्री आर. के. उद्दे, वरि. सहकारी निरीक्षक.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ. कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,
(121) उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि./परि./2012/1676, छिन्दवाड़ा, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	कालरी कर्म. प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., चॉदामेटा (अपनी दुकान) पंजीयन क्रमांक 144/22-8-1963.	1676/08-11-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में

साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. एस. दुबे,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(122)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि./परि./2012/1676 छिन्दवाड़ा, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	श्री शारदा शिक्षक सहकारी साख समिति मर्या., सौंसर पंजीयन क्रमांक 148/24-8-1987.	1676/08-11-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

के. डी. सातनकर,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(123)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि./परि./2012/1695 छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	ग्रामीण अंचल जड़ी-बूटी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ पंजीयन क्रमांक 650/13-12-2004.	1695/31-12-2011

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

मो. आरिफ कुरैशी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(124)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र /उपछि./परि./2012/1676 छिन्दवाड़ा, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	पं. दीनदयाल मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., खापाबिहरी	1676/08-11-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. गौतम,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(125)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि./परि./2012/1695 छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	विद्युत कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़कुही पंजीयन क्रमांक 147/22-8-1963.	1695/31-12-2011

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों

के दाबों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

पी. के. नासेरी,

(126) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि./परि./2011/1695, छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 एवं 634, दिनांक 21 अगस्त, 2002 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	जय भवानी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भानादेही पंजीयन क्रमांक 673/18-1-2006.	1695/31-12-2011
2.	जय सेवा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., माल्हनवाडा पंजीयन क्रमांक 674/18-1-2006.	1695/31-12-2011
3.	प्राथमिक वसुधा यातायात सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा पंजीयन क्रमांक 369/24-3-1992.	634/21-08-2002

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दाबेदारगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दाबेदारों/साहूकारों के दाबों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. एल. चौकसे,

(127) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/3047, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक मर्या., उज्जैन	01/07-09-1959	4029/30-06-1967
2.	सर्वोदय साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	20/26-05-1960	4098/30-06-1967
3.	हेण्डलूम एण्ड हेण्डीक्राफ्ट को. आ. सोसायटी लिमिटेड, उज्जैन	4593/15-01-1948	4037/07-05-1962
4.	शीटमेटल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर	07/23-09-1959	4857/27-07-1967
5.	महिला ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर	194/29-08-1963	6926/26-10-1967
6.	ग्रामोद्योग विश्वकर्मा क्राफ्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	13/02-01-1960	6507/06-10-1967
7.	विश्वकर्मा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., करोहन	218/22-02-1964	1593/09-06-1962
8.	कुम्होरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा द्वारकाधीश	178/23-03-1963	8109/16-12-1967
9.	रविदास उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नवाखेड़ा	161/05-01-1963	505/02-02-1984

अत: मैं, पुरूषोत्तम सोनी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ. कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

पुरूषोत्तम सोनी,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(97)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/3052, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का

परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झार्डा	8343/22-02-1957	443/01-02-1984
2.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला सेठिया	128/29-08-1962	474/01-02-1984
3.	रविदास चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., जलालखेड़ी	138/05-03-1962	1084/13-02-1992
4.	गंगामाता चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	618/18-02-1957	1084/13-02-1992
5.	ग्रामोद्योग तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	860/10-03-1959	2180/11-02-1984
6.	ग्रामीण तेलधानी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर	232/25-01-1965	438/31-01-1984

अतः मैं, सी. एस. आसोड़िया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

सी. एस. आसोड़िया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(98)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/3075, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	नालंदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	76/20-08-1981	3075/29-12-2012
2.	माँ श्री महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	877/26-07-1987	3075/29-12-2012
3.	स्वास्तिक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	878/01-08-1989	3075/29-12-2012
4.	गुडलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1445/28-02-1997	3075/29-12-2012
5.	ग्रेसिम कार्यकर्ता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	31/18-03-1974	3075/29-12-2012
6.	वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	103/30-07-1985	3075/29-12-2012
7.	राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	137/28-09-1988	3075/29-12-2012

अत: मैं, गिरीश शर्मा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

गिरीश शर्मा,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(99)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/क्यू/2012.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/1730, उज्जैन, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मांगमाता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,उज्जैन	..	1730/31-08-2012
2.	श्री महाराजा अग्रसेन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1405/22-02-2005	1730/31-08-2012
3.	जय हनुमान वाल्मिकी सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	..	1730/31-08-2012
4.	माँ अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., घट्टिया	1737/31-12-2009	1907/21-09-2012
5.	माँ लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जलवा	1739/05-01-2010	1906/21-09-2012
6.	श्री राम बीज उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., घट्टिया	1734/10-10-2009	1905/21-09-2012
7.	माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैथल	1738/31-12-2009	1904/21-09-2012

अत: मैं, एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(100)

उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू./2013.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/2384, उज्जैन, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबलागौरी, तहसील घट्टिया	562/15-09-1981	2384/04-12-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कदवाली, तहसील घट्टिया	662/16-03-1984	2384/04-12-2012
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबलारेहवारी, तहसील घट्टिया	499/22-09-1980	2384/04-12-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुलाहेड़ा, तहसील घट्टिया	558/30-06-1988	2384/04-12-2012
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी, तहसील घट्टिया	551/30-06-1981	2384/04-12-2012

अत: मैं, एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एस. के. मालवीय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(100-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 06 फरवरी, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

सिन्ध कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2012/162.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिन्ध कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर/जी. डब्ल्यू. आर./171, दिनांक 09 मार्च, 1990 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष ..... से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष ..... का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 7 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(101)

ग्वालियर, दिनांक 06 फरवरी, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

न्यू विकलांग कल्याण यूनियन प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2012/163.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू विकलांग कल्याण यूनियन प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./871, दिनांक 27 नवम्बर, 1997 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष ..... से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष ..... का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 7 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(101-A)

ग्वालियर, दिनांक 06 फरवरी, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

बालाजी महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2012/164.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाजी महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर/जी. डब्ल्यू. आर./327, दिनांक 22 जनवरी, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष ..... से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष ..... का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 7 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(101-B)

ग्वालियर, दिनांक 06 फरवरी, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

उत्कर्ष स्वास्थ्य सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2012/165.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्कर्ष स्वास्थ्य सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर/जी. डब्ल्यू. आर./407, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष ..... से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष ..... का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 7 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(101-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
मनुज कुक्कुट विकास सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनुज कुक्कुट विकास सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर/जी. डब्ल्यू. आर./879, दिनांक 28 सितम्बर, 1998 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष ..... से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष ..... का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 11 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(101-D)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम- 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012-13/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप/ सहायक पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, जिला इन्दौर के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	492/03-02-1988	3425/08-08-2012	1826/06-05-2004
2.	इन्दौर बर्तन बाजार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	733/23-03-1998	3425/08-08-2012	144/08-01-2001
3.	ई. डब्ल्यू. एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	803/20-03-2001	3425/08-08-2012	1813/26-07-2007
4.	श्री प्रियंका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	971/16-05-2004	3425/08-08-2012	1807/26-07-2007
5.	इन्दौर वायर कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	396/20-05-1972	4425/30-10-2012	5511/31-12-1996
6.	लोक सेवा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	585/13-05-1981	4425/30-10-2012	5512/31-12-1996
7.	इन्दौर नागरिक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	325/06-01-1951	4425/30-10-2012	988/06-03-2000
8.	परस्पर मित्र मण्डल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	1077/10-10-1977	4425/30-10-2012	360/17-07-2003
9.	सर्वजन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	1147/04-08-1992	4425/30-10-2012	2992/15-07-2003
10.	आल्वारिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह संस्था मर्या., महू.	1871/06-01-1998	4425/30-10-2012	2334/16-04-2004
11.	भण्डारी कामगार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	915/05-01-1950	4425/30-10-2012	4317/27-08-1997

अत: मैं, आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/ सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एस. गरेठिया,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(102)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	स्वर सागर साख सहकारी संस्था, इन्दौर.	1923/04-12-1998	2571/31-05-2012
2.	माँ कैलादेवी साख सहकारी संस्था, इन्दौर.	2205/दि. . .	2571/31-05-2012
3.	इन्दौर सोशल ग्रुप साख सहकारी संस्था, इन्दौर.	1066/04-05-1991	2571/31-05-2012
4.	झुग्गीवस्ती महिला साख सहकारी संस्था, इन्दौर.	1824/18-03-1997	2571/31-05-2012
5.	युवा नेहरू साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1766/20-02-1996	2571/31-05-2012
6.	इन्दिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1849/16-07-1997	2571/31-05-2012
7.	मालवा विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1881/07-03-1998	2571/31-05-2012
8.	एकदनताय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1961/13-10-1999	2571/31-05-2012
9.	रोलिंग मजदूर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	105/24-10-1960	845/13-02-2003

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(103)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	निधि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	527/06-05-1989	5249/24-10-2003
2.	डिफेन्स पर्सन्स गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	531/22-07-1989	7020/12-10-1999

1	2	3	4
3.	सिंचाई विभाग गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	593/22-07-1995	7713/29-11-1999
4.	जल संसाधन कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	615/19-06-1996	7705/27-11-1999
5.	जय बजरंग नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	256/14-07-1980	4922/01-10-2003
6.	लोक कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	626/19-08-1996	1630/28-04-1999
7.	हैप्पी गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	662/11-03-1997	5248/24-10-2003
8.	आनन्द श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	671/01-05-1997	985/21-02-2003
9.	नवजीवन गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर.	623/22-07-1976	3082/24-10-2007

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(103-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	हरिजन श्रमिक सहकारी संस्था, रामा मण्डल	876/27-05-1959	6925/15-09-1966
2.	हिन्दुस्तान प्लास्टिक सहकारी संस्था, इन्दौर.	-	-
3.	खादी श्रमिक कामगार सहकारी संस्था, सुखनिवास	528/29-09-1978	10482/23-11-1969
4.	आधुनिक विश्व साख सहकारी संस्था मर्या., महू	170/10-04-1969	3079/01-08-1983

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे,

आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

ए. के. गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(103-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	गरीब नवाज एवं हरिजनों की गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	341/22-02-1983	6025/03-08-2004
2.	आर. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	488/20-01-1988	6024/03-08-2004

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एन. के. निर्मल,
सहकारी निरीक्षक.

(104)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश व दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	जगदम्बा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, सिन्दोडी	1807/21-11-1996	1703/18-08-2001	4906/16-09-2010
2.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, बिसनावदा	836/24-01-2002	6205/11-08-2004	4906/16-09-2010

1	2	3	4	5
3.	माँ दुर्गा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, पिगडबर	823/24-08-2001	4566/04-09-2003	4906/16-09-2010
4.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, गारीपिपल्या	818/23-07-2010	2484/31-08-2007	4906/16-09-2010
5.	मंगल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	663/23-07-1997	5410/28-12-2012	-

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव अन्य किसी स्रोत से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड/दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखितरूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होता हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है.

सुरेन्द्र जैन,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(105)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समिति, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	जय रणजीत सहकारी साख संस्था, इन्दौर.	2073/10-04-2002	4718/26-11-2012

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एम. एम. श्रीवास्तव,
परिसमापक.

(106)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013-फाल्गुन 17, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, नीमच, शाजापुर, देवास, झाबुआ, राजगढ़, रायसेन, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी में रबी फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला कटनी में फसल चना, मसूर, अलसी, गेहूँ व डिण्डोरी में चना, मसूर, गेहूँ, बटरी, अलसी, लाख व ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, नीमच, देवास, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी व टीकमगढ़, सीधी, झाबुआ, इन्दौर, बुरहानपुर, राजगढ़ में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**— जिला दमोह, बालाघाट में फसल धान व झाबुआ, बैतूल में ज्वार तथा सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी, रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7 . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		सोयाबीन, तुअर, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .	चालू है.	4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल, मूँगमोठ, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर : 1. मुंगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी 5. शाढौरा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला गुना : 1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, . .	7. पर्याप्त. 8. . .
जिला टीकमगढ़ : 1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, चना, जौ, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला छतरपुर : 1. लौण्डी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ा मलहरा 8. बकस्वाहा	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, सोयाबीन कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, मसूर कम. चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार,कोदों-कुटकी, अरहर, अधिक. गेहूँ, चना, अलसी कम. राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान		
4. जैतपुर	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. बुढार	. .				
***जिला अनूपपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, अरहर, अधिक. गेहूँ, चना, अलसी कम. राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर, गेहूँ, जौ कम. अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझोली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
***जिला मन्दसौर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी व ज्वार फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) धान, कपास, तुअर, चना, गेहूँ अधिक. ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. उदयगढ़	. .				
4. भामरा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
6. कट्टीवाडा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. . .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
***जिला प. निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, कपास, ज्वार, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
7. वरला	. .				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	चालू है.	4. (1) कपास, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .	की बोनी का कार्य चालू	4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .	है.	मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		मक्का, ज्वार.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला सीहोर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अलसी, गन्ना अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी की बोनी व ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना , मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. गन्ना, मूँगमोठ, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. जबलपुर	. .				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं चना, मसूर, अलसी, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. मक्का, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
***जिला मण्डला :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बिछिया	. .		(2) . .		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों चना, मसूर, गेहूँ, बटरी, अलसी, लाख की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी, राई समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, बाजरा, उड़द, मूँगमोठ मटर, चना, मसूर, तिवड़ा, लाख सोयाबीन कम. राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अनूपपुर, सिंगरौली, मन्दसौर, प. निमाड़, पूर्व निमाड़, सीहोर, मण्डला से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(111)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.